मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांकः– मु0अ0–1 / निविदा–07–297/ 2025 1830 पटना, दिनांकः– 19|09|2025

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–MMGSY-(AWSESH-SC)-Ara-266 (टेन्डर आई0डी0–142075) का पथ मरम्मति एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 860 अनु0 दिनांक 19.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–MMGSY-(AWSESH-SC)-Ara-266 (टेन्डर आई0डी0–142075) का पथ मरम्मति एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार MOHIT KUMAR SINGH (Bid ID-622100) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से –16.04 (सोलह दशमलव शून्य चार) प्रतिशत कम पर अर्थात 1,51,50,546.00 (एक करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार पाँच सौ छियालीस) रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोद्यारण नहीं होगा।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तो में जोडकर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के मापी की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें।
8. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
9. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
10. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देगें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।
11. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

Executive Engineer

Scanned with CamScanner